20/01/25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलाई गई [illegible] उपस्थित नहीं है। अतः अदम [illegible] पैरवी में वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.29 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी